

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान (कॉलेज शिक्षा) भर्ती परीक्षा 2020 में चयनित होने पर निम्नांकित स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश की पालना में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री कैलाश चन्द यादव राउमावि, देवन शाहपुरा, जयपुर	एफ1(23-15)/RPSC/APPT/HRD/2022/1619 दिनांक - 18.10.2022
2.	सुश्री मिथलेश कुमारी राउमावि, खीप का पुरा, हिण्डौन सिटी, करौली	एफ1(23-15)/RPSC/APPT/HRD/2022/1619 दिनांक - 18.10.2022

विभाग छोड़ने के बाद उक्त प्राध्यापक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है तो उनका वर्तमान धारित पद पर लियन नहीं रहेगा साथ ही संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को स्वयं के प्रार्थना-पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावे।



(गौरव अग्रवाल)
आई.एस.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-6/कार्यमुक्त/अन्य विभाग/2021
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

दिनांक: 03/11/2022

- 1 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
- 2 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
- 3 संबंधित प्रधानाचार्य को पाबंद किया जाता है कि विभागीय नियमानुसार कार्मिक से विभाग के प्रति किसी प्रकार का बकाया नहीं का प्रमाण पत्र लेने पश्चात ही कार्यमुक्त किया जावे।
- 4 संबंधित व्याख्याता.....।
- 5 अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 6 रक्षित/निजी पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर